



झारखण्ड JHARKHAND **शुपी कृष्ण लाल, नोटरी** 02AA 632991
बंटवारा पट्टा

उत्तराधिकारी न० एकः - श्री अशोक राम पिता स्व० राम नन्दन राम धोबी जाति धोबी निवासी ग्राम डाडुटोली दुन्दरिया थाना एवं जिला गुमला। प्रथम पक्ष। भारतीय नागरिक।

उत्तराधिकारी न० दोः - श्री मनोज राम पिता स्व० राम नन्दन राम धोबी जाति धोबी निवासी ग्राम डाडुटोली दुन्दरिया थाना एवं जिला गुमला। द्वितीय पक्ष। भारतीय नागरिक।


उत्तराधिकारी न० तीनः - श्री कैलाश राम पिता स्व० राम नन्दन राम धोबी जाति धोबी निवासी ग्राम डाडुटोली दुन्दरिया थाना एवं जिला गुमला। तृतीय पक्ष। भारतीय नागरिक।

बंटवारा होने वाली जमीन का विवरणः -
मौजा चेटर थाना न० 47 थाना+ जिला गुमला

खाता न०	खेसरा	रकबा
20	610	0.16 एकड़
	611	0.45 एकड़

कुल रकबा 0.61 एकड़

Kailash Ram



मन्मथ राम

कैलाश राम

कैलाश राम

किस्म दस्तावेज: - स्व० रामनन्दन राम धोबी के अचल सम्पत्ति का बंटवारा उपरोक्त दर्ज उनके तीनों पुत्रों के बीच सहूलियत एवं सुविधा के आधार पर किया जाता है।

नाम जमींदार: - झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल गुमला जिला गुमला। राज्य झारखण्ड।

संदर्भ

यह कि मौजा चेटर थाना न० 47 थाना+ जिला गुमला के अंतर्गत खाता न० 20 खेसरा न० 610 एवं 611 कुल रकबा 0.61 एकड़ जमीन घासी धोबी पिता सालिक धोबी के नाम दर्ज है। स्व० रामनन्दन राम धोबी स्वतियानी मालिक घासी धोबी के पुत्र है।

उपरोक्त जमीन का रसीद अंचल जिला गुमला द्वारा वर्तमान में रामनन्दन राम धोबी के नाम निर्गत हो रहा है। रामनन्दन राम धोबी अपने पीछे उपरोक्त तीन उत्तराधिकारी कमशः 1. अशोक राम 2. मनोज राम एवं 3. कैलाश राम को छोड़कर मरे। उपरोक्त जमीन पर उपरोक्त तीनों हिस्सेदार अपने अपने सहूलियत के आधार पर हिस्सा कर के दखलकार चले आ रहे है। चूंकि उपरोक्त जमीन का रसीद अंचल द्वारा अब तक तीनों उत्तराधिकारी पुत्रों के स्व० पिता रामनन्दन राम धोबी के नाम पर निर्गत हो रहा है अतः

भविष्य को देखते हुए उपरोक्त तीनों हिस्सेदार दखल के अनुसार बंटवारा कमज बनाकर अब अपने अपने नाम से दारिखल खारिज अंचल गुमला से कर रसीद कटाना चाहते है। तीनों हिस्सेदारों का जमीन बंटवारा उनके नाम के साथ निम्न प्रकार से अंकित किया जाता है: -

सिड्युल 'क'


फर्द बंटवारा श्री अशोक राम पिता स्व० रामनन्दन राम धोबी जाति धोबी निवासी ग्राम डाडुटोली दुन्दरिया थाना एवं जिला गुमला। बंटवारा में प्राप्त जमीन का विवरण: - मौजा चेटर थाना न० 47 थाना+ जिला गुमला।

खाता न०: - 20 खेसरा न०: - 611 रकबा: - 0.45 एकड़ में से 0.21 एकड़ जानिब बीच में जो नक्शा में पीला रंग से रंग कर दिखाया गया है।


जमीन का चौहदी: - उत्तर-स्व० तिला उर्राव का खेत, दक्षिण-पक्की सड़क, पूरब-कैलाश राम को हिस्सा में प्राप्त जमीन खेसरा न० 611 का भाग, पश्चिम-मनोज राम को हिस्सा में प्राप्त जमीन।

सिड्युल 'ख'

फर्द बंटवारा श्री मनोज राम पिता स्व० रामनन्दन राम धोबी निवासी ग्राम डाडुटोली दुन्दरिया थाना+ जिला गुमला। बंटवारा में प्राप्त जमीन का विवरण: - मौजा चेटर थाना न० 47 थाना+ जिला गुमला।



Kailash Ram



2/1/20

मनोज राम

खाता न०
20

खेसरा
610
611

रकबा
0.16 एकड़ सम्पूर्ण
0.04 एकड़

कुल रकबा 0.20 एकड़ जानिब पूरब जो नक्शा में
लाल रंग से रंग कर दिखाया गया है।

जमीन का चौहदी: - उत्तर-स्व० तिला उर्राव का खेत, दक्षिण-पक्की सड़क,
पूरब-अशोक राम को हिस्सा में प्राप्त जमीन खेसरा न० 611 का भाग,
पश्चिम- बिरजु साव का मकान।

सिद्दयुल 'ग'

फर्द बंटवारा श्री कैलाश राम पिता स्व० रामनन्दन राम धोबी निवासी ग्राम
डाडुटोली दुन्दरिया थाना+जिला गुमला। बंटवारा में प्राप्त जमीन का
विवरण: - मौजा चेटर थाना न० 47 थाना+जिला गुमला।

खाता न० खेसरा रकबा
20 611 0.20 एकड़ जानिब पूरब जो नक्शा में
हरा रंग से रंग कर दिखाया गया है।

जमीन का चौहदी: - उत्तर-स्व० तिला उर्राव का खेत, दक्षिण-पक्की सड़क,
पूरब- मुन्द्रिका सिंह का मकान, पश्चिम-श्री अशोक राम को हिस्सा में प्राप्त
जमीन खेसरा न० 611 का भाग।

अब उपरोक्त तीनों उत्तराधिकारी गण (फरीकन)अपने अपने हिस्से में
वो काबीज रहकर पूर्ण सुख-उपभोग करे। अपने-अपने हिस्से पर जो
चाहे वैसा पक्का मकान बनाए, कुआँ, चापानल खुदावेँ, बाग-बागीचा
लगावेँ, तीनों फरीकन में से किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य
में होगी। अब तीनों फरीकन अलग-अलग दाखिल खारीज कराकर
अपने-अपने नाम से रसीद लिया करे इसमें किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं है
और न भविष्य में होगी।

यह कि उपरोक्त बंटवारा कागज को तीनों फरीकन पढ़कर-समझकर
गवाहों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर-ठेप्पा निशान लगा दिए ताकि समय
पर काम आए एवं प्रमाण रहें। आज दिनांक 18-10-2013 को गुमला में।

गवाहन: -

1. श्री अशोक राम
वाड न० - 03
नगर पंचायत - गुमला
2. मनोज राम
सुन्दर गुमला

अशोक राम

हस्ताक्षर श्री अशोक राम

मनोज राम

हस्ताक्षर श्री मनोज राम

कैलाश राम

हस्ताक्षर श्री कैलाश राम

Authorised Under Section-5
of the Notaries Act, 1952
(Act No. 53 of 1952)
Along with Notaries Rules 1958

G.K. Lal
18-10-13
GOPI KRISHNA LAI
(NOTARY)
DIST - GUMLA 835207

Kailash Ram



माँजा - चैटर
 थाना नं - 47
 थाना + जिला - गुमला
 खसरा खसरा रकबा
 20 610 0.16 शे
 611 0.45 शे
 कुल रकबा 0.61 शे

श्री मनाज राम
 श्री मनाज राम

उत्तर

खसरा नं 610 - 0.16 शे	श्री मनाज राम	खसरा नं 611 - 0.45 शे
श्री मनाज राम	श्री अशोक राम 0.21 शे	श्री कैलाश राम 0.20 शे
	खसरा नं 611	

पश्चिम

पूरव

श्री कैलाश राम

सड़क

दक्षिण 0.21 शे श्री अशोक राम
 0.20 शे श्री मनाज राम
 0.20 शे श्री कैलाश राम

G.K. Lal
 18-10-18
 GOM KRISHNA LAL
 (NOTARY)
 DISTT. GUMLA 835203

Karlash Ram

संकेत :-


स्व० रामनन्दन राम पिता

के पुत्र मनोज राम, अशोक राम और कैलाश राम के बीच आपसी बतवारा :- मनोज राम को खांडुल 'क'

मानकर उसके स्थि लाल \square रंग, अशोक राम को खांडुल 'ख' मानकर उसे हरा \square रंग और कैलाश राम को खांडुल 'ग' मानकर उसे पीला \square रंग देकर दर्शाया गया है।


मौजा - दुन्दुर्वा
 भागा - गुमला
 धाना नं० ४४
 जिला - राँची (गुमला)
 स्केल एक माइल = १६ इंच
 खन १८३०-३१ इस्वी

खता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
१३३	१६१	०-१६ अ.
११	१६२	०-०४ "
६०	१६३	०-०४ अ.



मौजा - वेटर
 भागा - गुमला
 धाना नं० ४६
 जिला राँची (गुमला)
 स्केल एक माइल = १६ इंच
 खन १८३०-३१ इस्वी

खता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
३०	६१०	०-१६ अ.
११	६११	०-४५ अ.



नोट :- मौजा में प्लॉटों को मिलाकर बतवारा किया गया है एवं सरजमीन के आधार पर बांटा गया।
 नक्शा देस किया

Kailash Ram

17/2/2015